देवीसिंह मीना

बनाम

भारत संघ

30 नवम्बर 2007

[डॉ अरजीत पसायत, तरूणा चटर्जी और लोकेश्वर सिंह पंत, जे.जे.]

सेवा कानून-पदोन्नति- पदोन्नति पैनल मे अधिकारी का नाम डीपीसी मे शामिल नही किया गया है। - पैनल मे मंत्री द्वारा अनुमोदन के चरण मे मामले पर पुनर्विचार कर नाम शामिल नहीं करने का कारण बताते हुए पैनल- डीपीसी मे उनका नाम शामिल करना- मंत्री द्वारा स्वीकृत- पदोन्नति के लिए दावा निचली अदालत के लिए दावा अस्वीकृत करके अपील अधिकरी द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि उसका नाम डीपीसी द्वारा अनुशंसित नही किया गया था। इसलिए वह पदनियोक्ति का हकदार नही है- मंत्री के पूर्व आदेश के आधार पर दावा पोषणीय नहीं है।

अपीलकर्ता- अधिकारी ने रेलवे मे मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद पर मंत्री द्वारा दी गई पदोन्नति की स्वीकृति के आधार पर पदोन्नति का दावा किया। उनके अभ्यावेदन को अधिकारियो ने इस आधार पर खारिज कर दिया की पश्चातवर्ती आदेश द्वारा, मंत्री ने पदोन्नति के पैनल मे उनका नाम शामिल नही करने पर सहमती प्रकट की थी। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पदोन्नति का दावा उनके

प्रार्थना-पत्र पर खारिज किया गया- जिसको उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका मे आगे मान्य रखाः- अपील मे अभिनिर्धारित किया गया।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशो के संबंध मे हस्तक्षेप करने का कोई आधार नही है। मंत्री के बाद के आदेश को कोई चुनौती नही दी गई। अभिलेखो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रारंभ मे जब डी.पी.सी ने पैनल को मंत्री के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रेषित किया तो अपीलकर्ता का नाम सूची मे शामिल नही था। मंत्री ने पैनल को मंजूरी देकर अपीलकर्ता का नाम शामिल किया। तत्पश्चात मंत्री द्वारा मामले मे अवलोकित बिंदुओ के सम्बंध मे पुनर्विलोकन हेतु डी.पी.सी के समक्ष रखा गया। इसके पश्चात डी.पी.सी ने विस्तृत सार कथित करते हुए कारण दिए की क्यों अपीलकर्ता का नाम पदोन्नति के लिए शामिल नही किया जा सकता। मंत्री ने डी.पी.सी. द्वारा दिये गये कारणो को स्वीकार करते हुए पैनल को मंजूरी दी। इस बात पर विवाद नही है कि लागु प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति दी गई है। अपीलकर्ता का नाम डी.पी.सी द्वारा अनुशंसित नही किया गया था इसलिए उसे नियुक्त नही किया जा सकता था।[पैरा7,8,9,और 11][748-ए,बी,सी,डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या-5543/2007

उच्च न्यायालय गुजरात, अहमदाबाद 2003 के विशेष आवेदन संख्या 16599 के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 16.02.2005 से।

अपीलकर्ता की और से प्रमोद बी अग्रवाल और प्रवीणा गौतम।

प्रतिवादी की और से और. मोहन, एएसजी.,किरण भारद्वाज और बी.कृष्ण प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय डा० अरिजित पासायत जे. द्वारा सुनाया गया।

1. छुट्टी स्वीकृत।

2. इस अपील मे गुजरात उच्च न्यायालय की एक डिविजन बैंच के फेसले को चुनौती दी गई जिसमे अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट को खारिज किया गया था उसका दावा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद से संबंधित है उन्होने केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, अहमदाबाद बेंच (संक्षेप मे ट्रिब्यूनल) के समक्ष 2001 के ओ.ए. 245 दायर किया था। इससे पहले उन्होने 1995 से मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का पद नही दिये जाने की शिकायत करते हुए 1997 का ओ.ए. 8639 दायर किया था। उनका कहना था कि रेल मंत्री ने उक्त ग्रेड मे उनकी पदोन्नति को मंजुरी दे दी थी, लेकिन वही उत्तरदाताओ द्वारा उस पर कोई प्रभाव नही डाला गया। ओ.ए. का निर्णय दिनांक 15.01.1999 के आदेश द्वारा गुणावगुण के आधार पर किया गया था। ओ.ए. को खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा था कि आवेदक मुख्य वाणिज्यक प्रबंधक के पद के लिए पदोन्नति का हकदार

नहीं है। दिनांक 01.01.1995. आवेदनकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय मे विशेष सिविल एप्लीकेशन संख्या 10899/2000 को प्राथमिकता दी और इसे खारिज करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी को लागु नियमो और प्राविधियो के प्रकाश मे अपनी पदोन्नति के लिए आवेदक के लंबित प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

3. इसके बाद विविध विशेष सिविल आवेदन मे अपीलकर्ता द्वारा आवेदन संख्या 132/2001 को स्थानांतरित किया गया था, जिसे डिविजन बेंच ने 07.03.2001 को खारिज कर दिया था, क्योकि अपीलकर्ता ने यह बयान दिया था कि वह चुनौती के संबंध मे उचित मंच के समक्ष आगे बढेगा। अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मौखिक आदेश पारित किया गया। इसलिए 2001 को ओ.ए. नंबर 245 दायर किया गया था। इसके बाद ओ.ए. मे प्रार्थना सदस्य, रेलवे बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 02.02.2001 के आदेश को रद्द करने और रेलवे अधिकारियो को पदोन्नति के लिए उनके मामले पर विचार करने का निर्देश देने के लिए थी। डब्ल्यू.ई.एफ. 1996.

4. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिनिधत्व को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि हालांकि मंत्री ने शुरु मे वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड मे उनकी पदोन्नति को मंजुरी दे दी थी, बाद मे दिनांक 26.04.1997 के आदेश द्वारा उन्होने पैनल मे अपना नाम शामिल न करने पर सहमती व्यक्त की थी। उनकी पदोन्नति पर विचार नही किया गया था। ट्रिब्यूनल

के समक्ष प्रतिवादी का रुख यह था कि केवल इसलिए कि मंत्री ने पहले चरण मे वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड मे अपीलकर्ता का नाम शामिल करने की सिफारिश की थी इससे पदोन्नति पाने का कोई अधिकारी नहीं मिलता, विशेषकर जब उसी मंत्री ने बाद मे उसके नाम को बहिष्कार की मंजूरी दे दी थी।

5. अपील में समर्थन मे अपीलकर्ता का रूख यह है कि एक बार जब मंत्री ने उसका नाम शामिल करने की मंजूरी दे दी थी, तो बाद में उनके नाम शामिल करने को अस्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि यह उनके ध्यान में लाया गया था कि उनका नाम शामिल करना अस्वीकार्य था।

6. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विभागीय पदोन्नति समिति (संक्षेप में डीपीसी) अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश नहीं की थी। उनके प्रतिनिधित्व पर मंत्री ने उनके पैनल में शामिल होने का निर्देश दिया। इसके बाद जब मंत्री के समक्ष सामग्री रखी गई तो उन्होंने निर्देश दिया की अपीलकर्ता की वहां के पैनल में शामिल होने की कोई गुंजाईश नहीं थी।

7. इस समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मंत्री के बाद के आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1996 के आदेश में जो डीपीसी में पैनल को मंत्री को अनुमोदन के लिए भेजा था तो

अपीलकर्ता का नाम सूची में शामिल नहीं किया गया था। मंत्री ने पैनल को मंजूरी देते समय अपीलकर्ता का नाम शामिल किया और फिर पैनल को मंजूरी दे दी। इसके बाद सदस्य विशेष रेलवे बोर्ड जो डीपीसी के सदस्यों में से एक था, ने सचिव रेलवे बोर्ड को मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर मामले को पुनर्विचार के लिए डीपीसी के समक्ष रखने की सलाह दी।

8. इसके बाद, डीपीसी ने एक विस्तृत नोट पेश किया जिसमें यह कारण बताया गया कि वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपीलकर्ता का नाम क्यों शामिल नहीं किया जा सकता है। मंत्री ने शामिल न किए जाने के लिए डीपीसी द्वारा दिए गए कारणों को को स्वीकार कर लिया और आगे उस पैनल को मंजूरी दे दी जिसमें अपीलकर्ता का नाम शामिल नहीं किया था।

9. यह विवाद में नहीं है, लागू प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति दी गई है। अपीलकर्ता के नाम की डीपीसी द्वारा अनुशंसा नहीं की गई थी और इसलिए, उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता था।

10. अपीलकर्ता का पक्ष यह है कि एक बार जब मंत्री ने उनका नाम शामिल करने का निर्देश दिया था, तो पृथक से कोई दृष्टिगत कारण बचा नही रह जाता है। यह दृष्टिकोण स्पष्ट रुप से पोषणीय नही है। जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान अभिवक्ता ने सही तर्क दिया है, हालांकि पहले चरण मे

मंत्री ने अपीलकर्ता का नाम शामिल करने का निर्देश दिया था, बाद मे प्रासंगिक सामग्री उनके सामने रखी गई, तो उन्होने पहले जो विचार रखा था, उससे अलग विचार रखा। जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता के मामले को अस्वीकार करने वाले मंत्री के आदेशों को कोई चुनौती नहीं थी।

11. ऐसा होने पर, ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशो मे हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। अपील बिना योग्यता के है और खारिज की जाती है। लागत के संबंध मे कोई आदेश नहीं होगे।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी श्रीमती नीलिमा पंवार (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।